शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग)

बिक्की राम

अतिथि व्याख्याता

(समाजशास्त्र)

बी.ए. द्वितीय वर्ष

पेपर–2

अपराध और समाज

इकाई–17

टॉपिक– भारत में पुलिस की भुमिका

पुलिस का अर्थ परिभाषा

काडवेल के अनुसार	मोरपार्टी के शब्दों में	सदरलैण्ड के शब्दों में

भारत में पुलिस की भुमिका

- कानून और व्यवस्था की स्थापना
- शान्ति की स्थापना
- अपराधो की रोकथाम
- जनसेवा
- राष्ट्र–सेवा की सुरक्षा
- सुधारात्मक प्रयास

अपराध नियत्रंण में पुलिस की भुमिका

अपराध की रोकथाम या उपचार में पुलिस की भुमिका

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियो की तलाशी से सम्बन्धित कार्य

पुलिस क गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करने से सम्बध्द कार्य

पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना

संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की इत्तिला

संज्ञेय अपराधों के किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तार

लोक संपत्ति की हानि का निवारण

अपराधिक कानून के प्रवर्तन का काय

शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग)
बिक्की राम
अतिथि व्याख्याता
(समाजशास्त्र)
बी.ए. द्वितीय वर्ष
पेपर–2
अपराध और समाज
इकाई–14
टॉपिक– भारत में दंण्ड़ की भुमिका

दंण्ड किया है?

दण्ड की परिभाषा

- रेकलेस के श्ब्दों में
- टैफ्ट के अनुसार
- वेस्टरमार्क के अनुसार

दण्ड़ की विशेषताएँ

दण्ड के उद्देश्य

- समाज में व्यवस्था बनाये रखना
- अपराधी को सुधारना
- समाज विरोधी तत्वों को भयभीत करना
- प्रतिशोध या पीड़ित व्यक्ति को संतोष प्रदान करना
- प्रतिफल

दण्ड के प्रकार व स्वरूप

- मृत्यु दण्ड
- शारीरिक पीड़ा
- सामाजिक अद्य:पतन
- समाज निर्वासन
- कारावास
- चर्च द्वारा कारावास
- युध्दपोतो मे कारावास
- सुधारगृह कारावा
- प्रारम्भ का सुधार–
- आर्थिक
- पुनर्स्थाप क्षतिपू

दण्ड के तीन सिध्दान्त

- प्रतिशोधात्मक सिध्दान्त
- प्रतिरोधात्मक सिध्दान्त
- सुधारात्मक सिध्दान्त

शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग)
बिक्की राम
अतिथि व्याख्याता
(समाजशास्त्र)
बी.ए. द्वितीय वर्ष
पेपर–2
अपराध और समाज
इकाई–13
टॉपिक– भिक्षावृति

भिक्षावृति क्या है?

भारत में भिक्षावृति

भिक्षावृति एक सामाजिक अभिशाप

भिक्षावृति के कारण

- अर्थिक कारण
- धार्मिक कारण
- शारीरिक कारण
- सामाजिक कारण
- मानसिक कारण
- विपत्तियों से ग्रस्त व्यक्ति

भिक्षावृति के रोकथाम के उपाय

- बेकारी गरीबी का निवारण
- भिक्षावृति की कानूनि रोकथाम
- रोगीयों के इलाज की सुरक्षा
- अनाथों और अपाहिजो की सुरक्षा
- विपदाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता
- भिक्षावृति के विरूध्द जनमत का निर्माण

शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग)

बिक्की राम

अतिथि व्याख्याता

(समाजशास्त्र)

बी.ए. द्वितीय वर्ष

पेपर–2

अपराध और समाज

इकाई–11

टॉपिक– मद्यपान

मद्यपान क्या है?

सामाजिक विघटन के रूप में मद्यपान

- व्यक्ति पर प्राथमिक समूह के प्रभाव की कमी
- व्यक्ति पर द्वितीयक समूह का अधिक भार

मद्यपान के परिणाम

- व्यक्तिक विघटन → स्वस्थ्य हानि
- परिवारिक विघटन → कार्य कुशलता का हास
- सामाजिक विघटन
- नैतिकता का हास
- अर्थिक पतन
- अपरिधों में वृध्द्धि

मद्यपान के कारण

- शराब एक दवा के रूप में → आपत्ति के कार
- अज्ञानता के कारण → सामाजिक अपर्याप्
- आर्थिक परिस्थितियां → नगरीकरण
- फैशन → वैक्तिक कारक
- वंशानुगत स्नायुविक कमजोरी → मनोवैज्ञानिक क
- मित्रता एवं आमोद–प्रमोद → कठोर श्रम

मद्यपान निराकरण के उपाय

(1) मद्य निषेध को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास का एक प्रमुख अंग माना जाय।

(2) अप्रैल 1958 तक सम्पूर्ण राष्ट्र में मद्य निषेध की घोषणा कर दी जाय तथा इस कार्य हेतु प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय समिति की स्थापना की जानी चाहिये।

(3) वर्ष 1955-56 के समाप्त होने के पूर्व ही केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि मद्य निषेध राष्ट्रीय नीति है।

(4) जिन राज्यों में मद्य निषेध का प्रारम्भ हुआ हो उन राज्यों में अप्रैल 1956 से समस्त सार्वजनिक स्थानों तथा मनोरंजन गृहों में सामाजिक और धार्मिक उत्सव तक में ही मदिरा का सेवन न करने दिया जाय।

(5) पूर्ण मद्य निषेध के लिए निम्न कार्यों को किया जाय ग्राम और नगरों में मदिरा की दुकान कम कर दी जाय।

(6) अप्रैल 1956 से समस्त नशीली मादक वस्तुओं से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार, विज्ञापन और आकर्षण बन्द होना चाहिए।

(7) शासकीय सेवा के नियमों में यह निर्धारित कर दिया जाय कि शासकीय कर्मचारी मद्यपान नहीं कर सकते।

(8) पूर्ण मद्य निषेध नीति के अन्तर्गत स्वास्थ्य की दृष्टि से भी किसी को रुग्णीकृत पत्र न दिया जाय।

(9) मद्य निषेध को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षणात्मक तथा वैज्ञानिक उपायों द्वारा जनता को जाग्रत करना चाहिए तथा राज्य के नशा निषेध बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए।

(10) मादक वस्तुएँ शराब, अफीम, गाँजा, चरस आदि की दुकानों की संख्या को कम किया जाय।

(11) मद्यपान सम्बन्धी विज्ञापनों को बन्द करना।

(12) सार्वजनिक स्थानों, होटल, क्लब आदि में रोक लगाना।

(13) नई शराबों की दुकानें नहीं खोलना।

(14) शासकीय कर्मचारियों को सार्वजनिक संस्थाओं, स्थानों अथवा ड्यूटी समय में मद्यपान को अपराध मानना।

(15) वाहन चालकों तथा पायलेटों

शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग)

बिक्की राम

अतिथि व्याख्याता

(समाजशास्त्र)

बी.ए. द्वितीय वर्ष

पेपर–2

अपराध और समाज

इकाई–1

टॉपिक– भारत मे अपराध

अपराध क्या है?

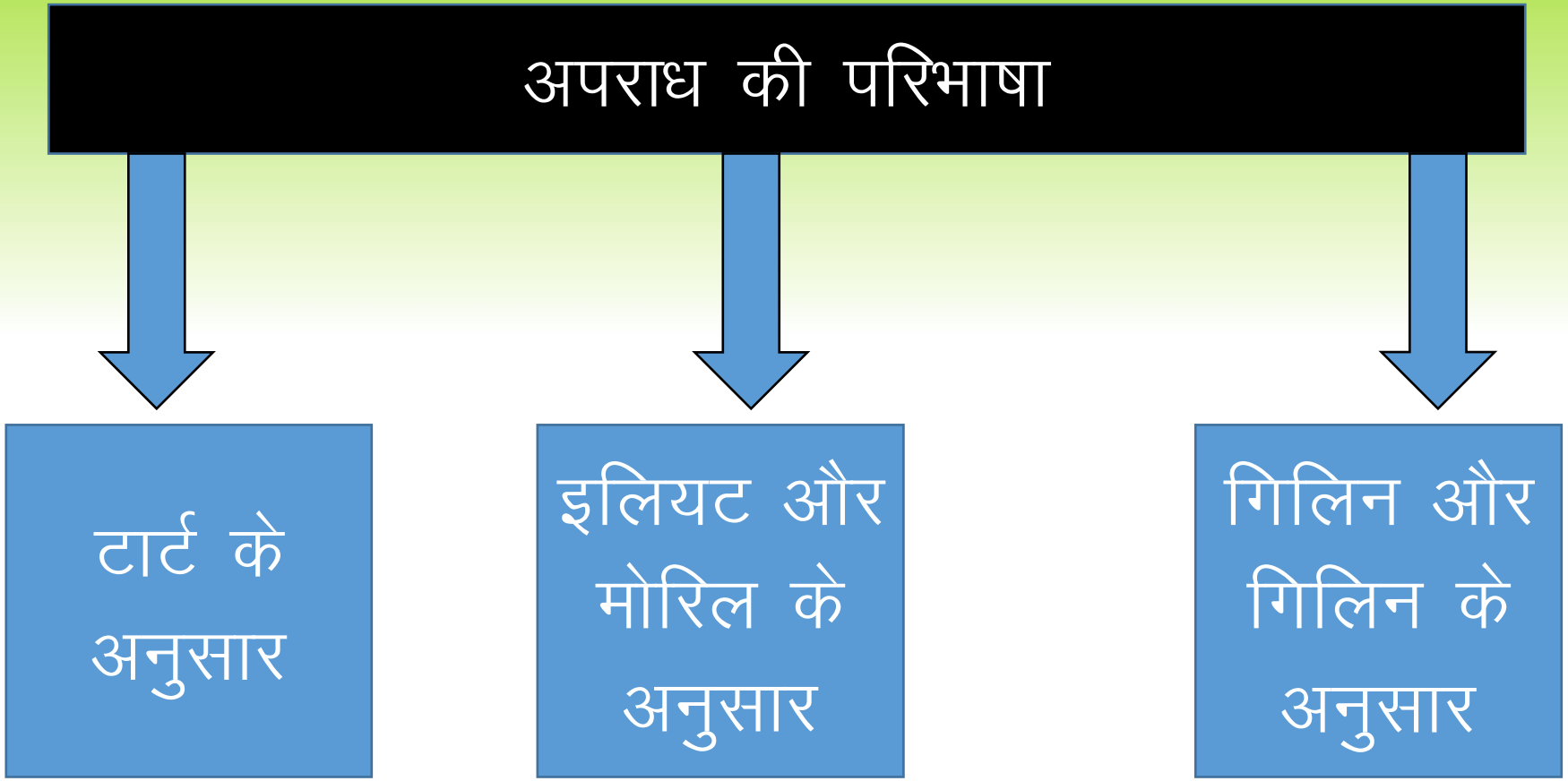

अपराधियों का वर्गीकरण

लोम्ब्रोसो कृत वर्गीकरण– आन्तरिक गुण एवं शारीरिक रचना के आधार पर चार गुण

- जन्मजात अपराधी
- अपस्मारी या पागल अपराधी
- आकस्मिक अपराधी
- काम अपराधी

गैरोफैलो कृत वर्गीकरण

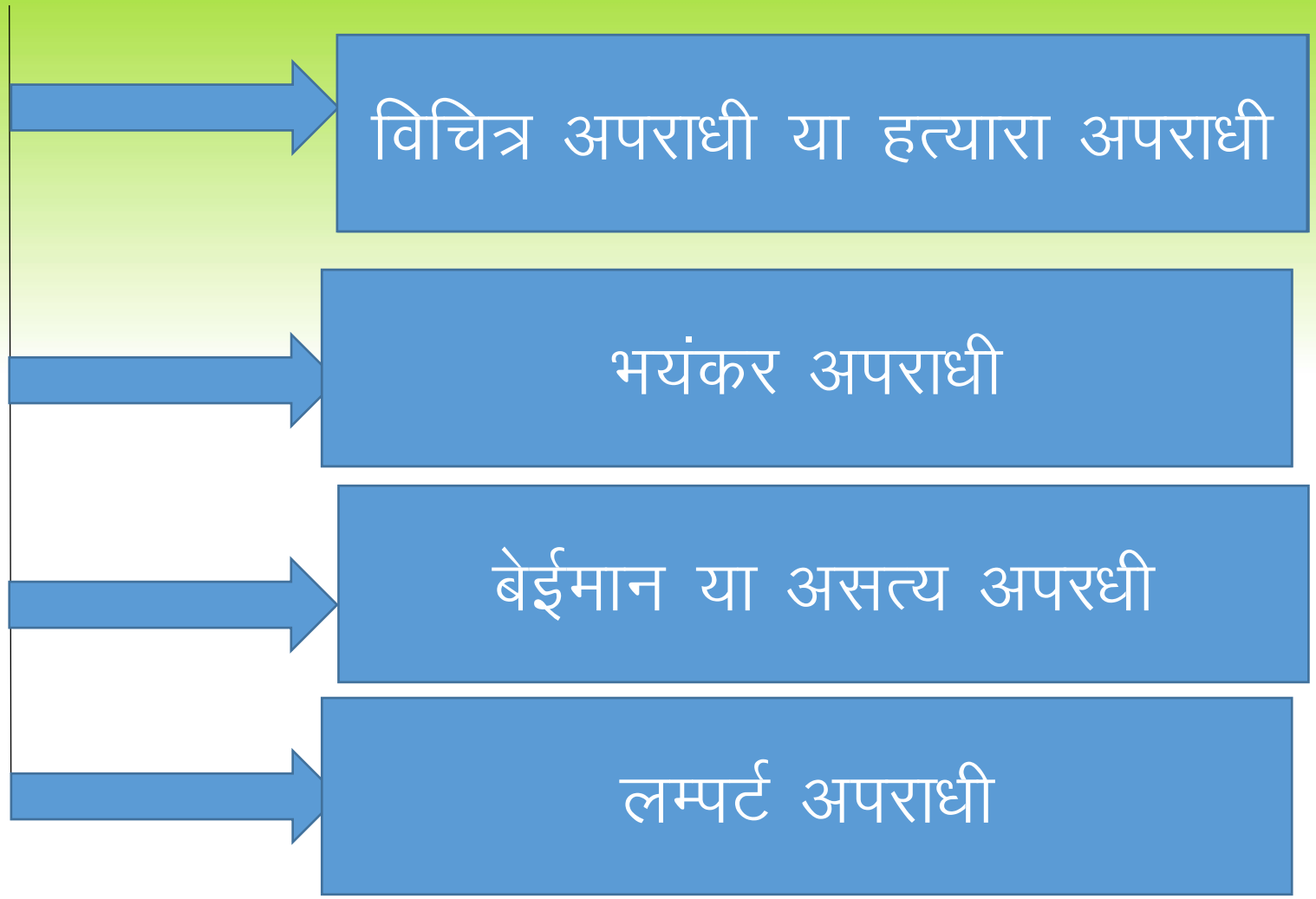

हेज कृत वर्गीकरण

- प्रथम दोषी अपराधी
- आकस्मिक अपराधी
- आदतन अपराधी
- पेशेवर अपराधी

सदरलैण्ड कृत वर्गीकरण

- सामान्य अपराधी
- श्वेतपोश अपराधी
- बाल अपराधी

बोंगर कृत वर्गीकरण

- राजनैतिक अपराधी
- आर्थिक अपराधी
- यौन अपराधी
- अन्य अपराधी

गिलिन और गिलिन कृत वर्गीकरण

- हत्यारा अपराधी
- यौना अपराधी
- सम्पत्तिक अपराधी

अपराध के लक्षण

- हानि
- क्रिया
- कानून के द्वारा निषेध
- अपराधी उद्देश्य
- उद्देश्य और व्यवहार में सह सम्बन्ध
- व्यवहार और हानि में सह सम्बन्ध
- दण्ड

अपराध के प्रकार

सदरलैण्ड ने अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखकर उसे दो भागों में बॉटा है

- साधारण अपराध
- जघन्य अपराध

क्लिनार्ड और क्विने ने आठ प्रकार के अपराध बताएँ हैं

- हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध
- सम्पत्ति संबधी आकस्मिक अपराध
- व्यावसायिक अपराध
- राजनितिक अपराध
- सावेजनिक व्यवस्था सम्बंधी अपराध
- परम्परागत अपराध
- संगठित अपराध
- पेशेवर अपराध

अपराध के सिध्दान्त

- प्रेतशास्त्रिय सिध्दान्त
- शास्त्रीय सिध्दान्त
- कानूनी सिध्दान्त
- भौगोलिक सिध्दान्त
- सामाजिक सिध्दान्त
- समाजवादी सिध्दान्त
- सामाजिक विधि सिध्दान्त
- प्रारूप वादी सिध्दान्त
- मनो सामाजिक सिध्दान्त
- मानसिक दोष सम्बन्धी सिध्दान्त

शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग)

बिक्की राम

अतिथि व्याख्याता

(समाजशास्त्र)

बी.ए. द्वितीय वर्ष

पेपर–2

अपराध और समाज

इकाई–9

टॉपिक– भारत में श्वेतपोश अपराध

श्वेतपोश अपराध

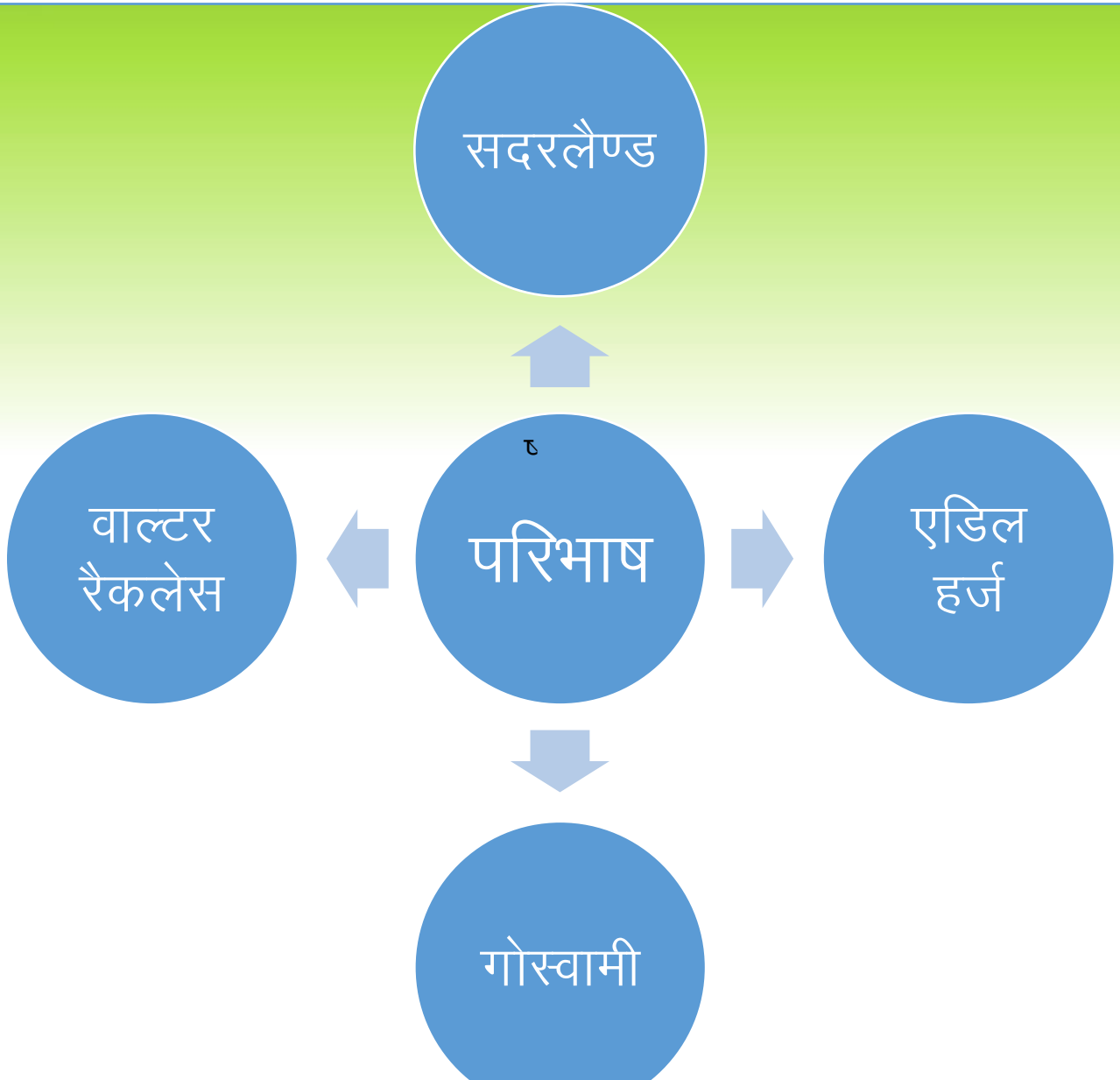

श्वेतपोश अपराध के लक्षण

आधुनिक भारत में श्वेतपोश अपराध

- व्यापारी वर्ग
- शासकीय कर्मचारी
- अधिवक्ता
- डाक्टर
- नेता
- सामाजिक कार्यकर्ता

श्वेतपोश अपराध के कारण

अपराध के कारण

- जैविकीय कारक
- मनोवैज्ञानिक कारक
- समाजिक कारक
- आर्थिक कारक
- शैक्षेणिक कारक
- संस्कृतिक कारक
- राजनितिक कारक

जैविकीय कारक

- वंशानुक्रमण
- आयु
- लिंग
- शारीरिक विकास
- शारीरिक विभिन्नता
- कमजोरी

मनोवैज्ञानिक कारक

- मानसिक हीनता
- भावात्मक अस्थायित्व
- हीनता की भावना
- अव्यवस्था
- संवेदनशीलता
- चरित्रहीनता

आर्थिक कारक

- निर्धनता
- बेकारी
- व्यापार चक्र
- धन का लालच
- असिमित आवश्यकताएँ
- बाल श्रम

जनजातीय समाज में परिवर्तनग्राहता का अर्थ

जनजातीय समाज में परिवर्तनग्राहता के कारण

- प्रजातन्त्रीकरण
- आधुनिकीकरण
- पश्चीमीकरण
- नगरीकरण
- औद्योगीकरण
- लौकिकरण
- संस्कृतिकरण
- परसंस्कृतिकरण
- सात्मीकरण

शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग)

बिक्की राम

अतिथि व्याख्याता

(समाजशास्त्र)

बी.ए. द्वितीय वर्ष

पेपर–2

अपराध और समाज

इकाई–21

टॉपिक– प्रोबेशन

प्रोबेशन क्या है?

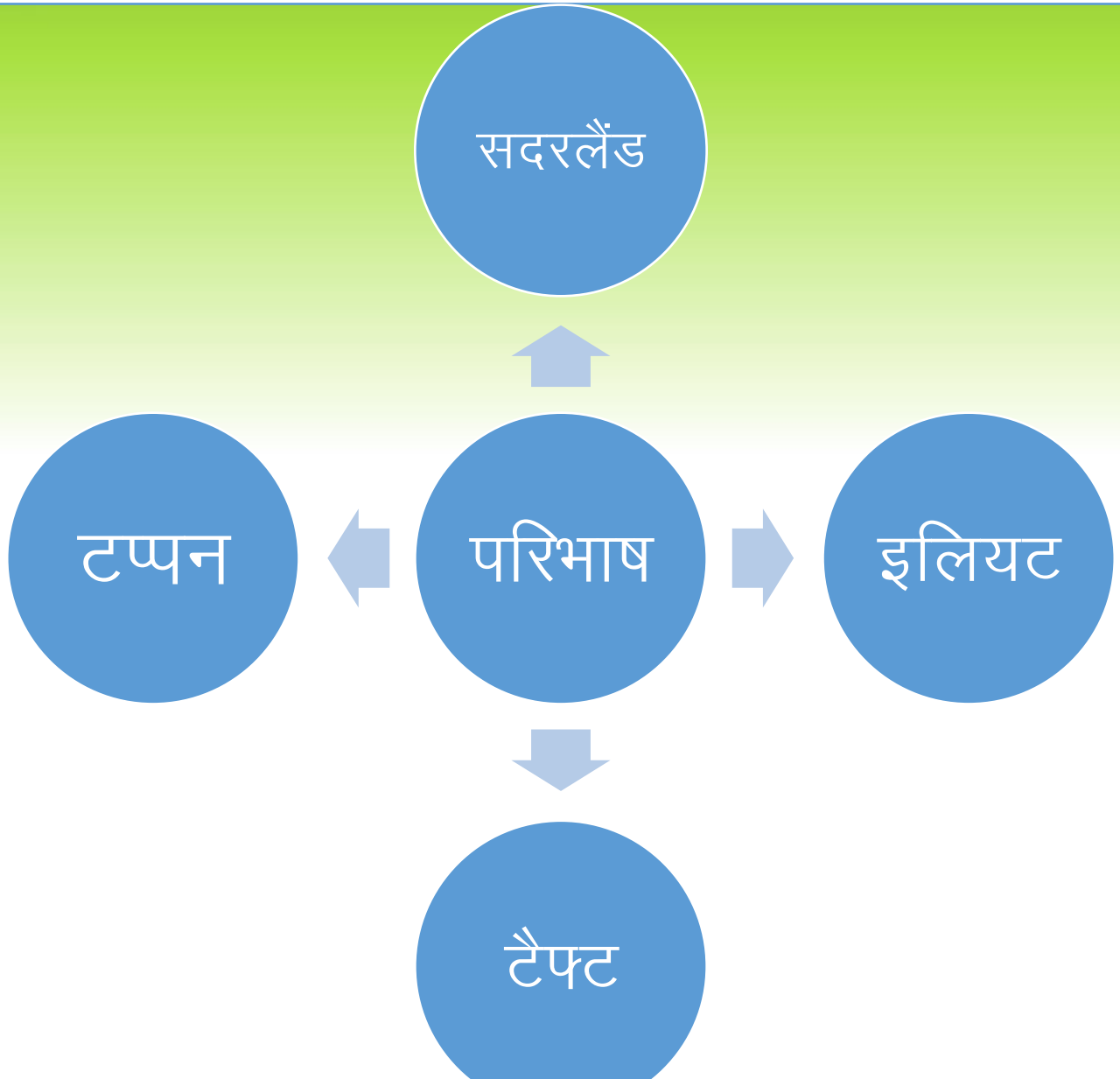

प्रोबेशन की विशेषताएँ

- प्रोबेशन की स्थिति सजा सुनाने के बाद ही उत्पन्न होती है
- निर्धारित दण्ड स्थगित कर दिया जाता है और उसे भुगतन
- प्रोबेशन अधिकारी के संरक्षण में रखा जाता है
- उसे अपने दिये गये आश्वसन पर उसका अच्छा बना होता

प्रोबेशन का महत्व या उपयोगिताएँ

- अपराधियों की मनोवृतियों को परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण
- अपराधियों को दुषित वतावरण से बचाना
- प्रोबेशन चिकित्सा भी एक विधि है
- अनुशासन की भावनाओं का विकास होना
- अपराधियों में सामजंस्य का विकास होना
- अपराधी पर अपराधी का प्रभाव नहीं पढ़ता
- आत्मनिर्भरता का गुण
- अपराधी पर क्षतिपूर्ति का गुण

प्रोबेशन से हानियाँ या दोष

- भयंकर अपराधियों को भी मुक्तदान
- आदती अपराधियों में वृध्दि सम्भव
- प्रोबेशन अधिकारी में कमी होना
- प्रोबेशन के बारे में पूर्ण सूचनाएँ एकत्रित न होना